

७. असहयोग आंदोलन

१९२० ई. से १९४७ ई. तक का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का कालखंड 'गांधी युग' के नाम से जाना जाता है। १९२० ई. में लोकमान्य तिलक के निधन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी के हाथ में आई। गांधीजी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह जैसे सूत्रों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता युद्ध को नई दिशा दी। गांधीजी के प्रभावी नेतृत्व के फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन और अधिक व्यापक हुआ। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नया युग प्रारंभ हुआ।

गांधीजी के दण्डिका कार : महात्मा



महात्मा गांधी

गांधी १८९३ ई. में वकालत के काम से दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड का उपनिवेश था। वहाँ अनेक भारतीय उद्योग, व्यापार और काम-धंधों के लिए स्थायी रूप में बस गए थे। वहाँ के हिंदी

(भारतीय) लोगों के साथ अपराधी की भाँति व्यवहार किया जाता था। उनका हर स्थान पर अपमान किया जाता था। १९०६ ई. में शासन ने एक आदेश निकाल कर अश्वेत वर्णियों को अपना पहचानपत्र अपने पास रखना अनिवार्य कर दिया। उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए। गांधीजी ने सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर इस अन्याय के विरुद्ध वहाँ के लोगों को न्याय प्राप्त करा दिया।

गांधीजी का भारत में आगमन : ९ जनवरी १९१५ ई. को गांधीजी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। नामदार गोपाल कृष्ण गोखले के परामर्श पर उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। सामान्य लोगों के दुख और दरिद्रता को देखकर उन्होंने राष्ट्रसेवा का व्रत लिया। वे अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी

के किनारे आश्रम में रहने लगे। सामान्य लोगों को न्याय प्राप्त कराने के लिए उन्होंने सत्याग्रह की अभिनव तकनीक का अवलंब किया।

सतह का दण्ड : गांधीजी ने सत्याग्रह की नवीन तकनीक को जनआंदोलन के साथ जोड़ दिया। सत्याग्रह का अर्थ सत्य और न्याय के प्रति आग्रही बनना है। अन्याय करनेवाले व्यक्ति को संयम और अहिंसा के मार्ग पर चलकर सत्य और न्याय का बोध कराना तथा उस व्यक्ति का मन परिवर्तित करना सत्याग्रह का उद्देश्य है। सत्याग्रही व्यक्ति को हिंसा अथवा असत्य का उपयोग नहीं करना चाहिए; यह गांधीजी की सीख थी।

कालांतर में केवल भारत में ही नहीं अपितु अनेक देशों की जनता ने अन्याय का प्रतिकार करने के लिए सत्याग्रह मार्ग का अंगीकार किया। अमेरिका के अश्वेत वर्णियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले मार्टिन लूथर किंग और दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला पर गांधीजी के सत्याग्रह का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा।

चंपारण सतह : बिहार के चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बागान मालिक भारतीय किसानों पर नील की फसल उगाने पर जबरदस्ती करते थे। यह नील निर्धारित दामों पर ही बागान मालिकों को बेचने की सख्ती की जाती थी। परिणामतः किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी। गांधीजी १९१७ ई. में चंपारण गए। वहाँ उन्होंने किसानों को संगठित कर सत्याग्रह पद्धति से आंदोलन किया। गांधीजी द्वारा भारत में किया गया यह आंदोलन सफल रहा। किसानों के साथ न्याय हुआ।

डिंडा सतह : गुजरात के खेड़ा जिले में लगातार अकाल पड़ने से फसलों की अत्यंत दुर्गति हो गई थी। फिर भी सरकार द्वारा बलात लगान वसूल किया जा रहा था। गांधीजी ने किसानों को लगान अदा न करने की सलाह दी। तब स्थानीय

किसानों ने १९१८ ई. में खेड़ा जिले में लगान बंदी आंदोलन प्रारंभ किया। गांधीजी ने आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार किया। अल्पावधि में ही सरकार ने लगान माफ किया।

अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन : प्रथम विश्वयुद्ध के समय महंगाई बहुत बढ़ गई थी। मिल श्रमिकों ने वेतन वृद्धि माँगी परंतु मिल मालिकों ने इस माँग को ठुकरा दिया। गांधीजी की सलाह पर श्रमिकों ने हड़ताल और अनशन किया। गांधीजी भी श्रमिकों के साथ अनशन पर बैठे। अंत में मिल मालिक पीछे हटे और श्रमिकों के वेतन में वृद्धि की।

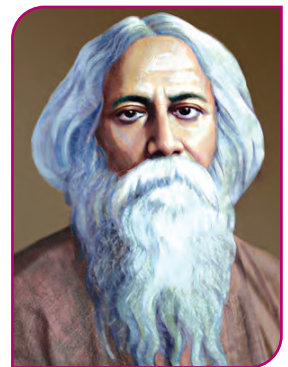
रौलट कानून के लक्ष्य सतह : प्रथम विश्वयुद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों को सहयोग दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीयों के हितों के निर्णय लिए जाएँगे; उत्तरदायी सरकार लाई जाएगी, ऐसा भारतीयों को लग रहा था। वस्तुओं के बढ़ते दाम, करों में हुई वृद्धि आदि आर्थिक और राजनीतिक कारणों से भारतीय जनता में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असंतोष बढ़ता जा रहा था।

अंग्रेज सरकार ने इस असंतोष को दबाने के लिए और उस विषय में उपाय सुझाने के लिए सर सिडनी रौलट नामक अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार १७ मार्च १९१९ ई. को केंद्रीय विधान मंडल में भारतीय सदस्यों द्वारा किए गए विरोध को न मानते हुए नया कानून बनाया। उसे 'रौलट एक्ट' कहते हैं। इस कानून के अनुसार किसी भी भारतीय को बिना जाँच-पड़ताल किए बंदी बनाने का, न्यायालय में मुकदमा दायर न करते हुए कारावास में बंदी बनाकर रखने का अधिकार सरकार को दिया गया था। भारतीयों ने इस कानून को 'काला कानून' कहकर संबोधित किया। इस कानून के विरुद्ध पूरे देश में क्रोध की लहर फैल गई। गांधीजी ने इस कानून के विरुद्ध सत्याग्रह की घोषणा की। ६ अप्रैल १९१९ ई. को रौलट कानून को विरोध दर्शाने के लिए देशव्यापी हड़ताल करने का आवाहन किया गया।

जलियाँवाला बाग हत्याकांड : रौलट कानून के विरुद्ध आंदोलन की घोषणा की गई थी। इस आंदोलन ने पंजाब प्रांत में प्रखर स्वरूप धारण किया। अमृतसर इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना। सरकार ने दमन तंत्र प्रारंभ किया। गांधीजी को पंजाब प्रांत में प्रवेश करने पर प्रतिबंधित किया गया। जनरल डायर ने अमृतसर में सभाएँ लेने पर प्रतिबंधित आदेश लागू किया। अमृतसर में की गई हड़ताल को लेकर डॉ. सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जैसे प्रमुख नेताओं को बंदी बनाया गया।

इस घटना की निंदा करने हेतु १३ अप्रैल १९१९ ई. को अमृतसर की जलियाँवाला बाग में बैसाखी त्योहार के दिन सभा का आयोजन किया गया। इस समय जनरल डायर सेना की गाड़ियाँ लिये वहाँ आया। जलियाँवाला बाग के मैदान से बाहर जाने का एक ही सँकरा मार्ग था। उस मार्ग को बंद किया गया और बाग में इकट्ठे हुए निःशस्त्र और निरीह लोगों पर बिना कोई सूचना दिए अंधाधुंध गोलियाँ चलाई गईं। बंदूकों के १६०० चक्र चलाने के बाद गोलियाँ समाप्त होने के कारण गोलीबारी बंद हुई। इस नृशंस नरसंहार में चार सौ स्त्री-पुरुष मारे गए। अनगिनत लोग हताहत हुए। गोलीबारी के तुरंत बाद निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) घोषित की जाने से घायलों पर तुरंत उपचार नहीं हो सका। संपूर्ण पंजाब में सैनिकी कानून लागू कर सरकार ने अनगिनत लोगों को जेल में बंद किया गया।

इस नरसंहार के लिए पंजाब का गवर्नर माइकेल ओडायर उत्तरदायी था। पूरे देश में इस कानून की निंदा और भर्त्सना की गई। हत्याकांड के निषेध के रूप में रवींद्रनाथ ठाकुर ने अंग्रेज सरकार द्वारा दिए गए 'सर' खिताब (उपाधि) का त्याग किया। आगे चलकर भारतीयों ने इस नृशंस हत्याकांड की जाँच की माँग की।



रवींद्रनाथ ठाकुर

लाफ् आंदोलन : तुर्किस्तान का सुलतान विश्व के मुस्लिमों का खलीफा अर्थात धर्मप्रमुख था। प्रथम विश्वयुद्ध में तुर्की इंग्लैंड के विरोधी गुट में था। युद्ध में भारतीय मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करने के लिए युद्ध समाप्त होने के बाद खलीफा के साम्राज्य को क्षति नहीं पहुँचाई जाएगी, यह आश्वासन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने दिया था परंतु युद्ध समाप्त होने पर इंग्लैंड ने अपने आश्वासन का पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप मुस्लिमों में आक्रोश की लहर व्याप्त हुई। खलीफा को समर्थन देने के लिए भारतीय मुस्लिमों ने आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन को 'खिलाफत आंदोलन' कहते हैं। गांधीजी ने सोचा कि इस मुद्दे को लेकर यदि हिंदू-मुस्लिम एकता पर आधारित राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किया जाए तो सरकार निश्चित रूप से सही रास्ते पर आएगी। फलतः गांधीजी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। सरकार के साथ असहयोग करने के गांधीजी के प्रस्ताव को खिलाफत कमेटी ने मान्य किया। इस समय हिंदू-मुस्लिम एकता के विशेष रूप से दर्शन हुए।

असहयोग आंदोलन : असहयोग आंदोलन के पीछे गांधीजी की यह धारणा थी कि भारत में अंग्रेजों का शासन भारतीयों के सहयोग पर निर्भर करता है। यदि भारतीय अंग्रेजी शासन के साथ संपूर्ण असहयोग कर दें तो उनका शासन धराशायी हो जाएगा। इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने जनता को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने का आवाहन किया।

१९२० ई. में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ। इस अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को सभी ने स्वीकृति प्रदान की। असहयोग आंदोलन की समस्त बागडोर गांधीजी को सौंपी गई। इस प्रस्ताव के अनुसार सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों, विदेशी वस्तुओं, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों का बहिष्कार करने का निश्चय किया गया।

असहयोग आंदोलन की या : असहयोग आंदोलन की योजना के अनुसार पंडित मोतीलाल

नेहरू, चित्तरंजन दास आदि विख्यात वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार किया। इसी अवधि में विद्यालयों और महाविद्यालयों का बहिष्कार कर राष्ट्रीय शिक्षा की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया गया। अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। होने वाले चुनावों का भी बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्त्रों को जलाया गया, विदेशी वस्त्रों को बेचने वाली दुकानों के सामने धरने दिए गए। फलतः विदेशी वस्त्रों का आयात कम हो गया।

१९२१ ई. में मुंबई में आए हुए 'प्रिंस ऑफ वेल्स' का स्वागत हड़ताल के साथ किया गया। निर्जन सड़कों और बंद दुकानों ने राजपुत्र का स्वागत किया। यह आंदोलन असम के चाय बागानों से लेकर बंगाल के रेल कर्मचारियों तक फैल गया। असहयोग आंदोलन पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने दमननीति का प्रारंभ किया।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरीचौरा में फरवरी १९२२ ई. में प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण जुलूस निकाला था। इस जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई। परिणामस्वरूप क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। इसमें एक पुलिस अधिकारी के साथ-साथ २२ पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से गांधीजी व्यथित हुए। गांधीजी ने १२ फरवरी १९२२ ई. को असहयोग आंदोलन स्थगित किया।



क्या तुम जानते हो ?

मुलशी सत ह : असहयोग आंदोलन की अवधि में पुणे जिले की मुलशी तहसील में किसानों ने सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह का नेतृत्व सेनापति पांडुरंग महादेव बापट ने किया। इसके लिए उन्हें सात वर्ष की सजा दी गई।

मार्च १९२२ ई. में गांधीजी को बंदी बनाया गया। उनपर 'यंग इंडिया' में तीन राष्ट्रदोही लेख लिखने का अभियोग रखकर राजद्रोह का मुकदमा

चलाया गया । अहमदाबाद में विशेष न्यायालय की स्थापना की गई । गांधीजी को छह वर्ष का दंड सुनाया गया ।

कालांतर में स्वास्थ्य की शिकायत को लेकर गांधीजी को कारावास से रिहा किया गया । गांधीजी ने असहयोग आंदोलन के साथ-साथ रचनात्मक कार्यक्रम भी चलाया । इसमें प्रमुखतः स्वदेशी का प्रसार, हिंदू-मुस्लिम एकता, शराबबंदी, अस्पृश्यता का निर्मूलन, खादी का प्रचार, राष्ट्रीय शिक्षा जैसी बातों का समावेश था । इस रचनात्मक कार्यक्रम के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन अधिक व्यापक हुआ ।

स्वराज्य पार्टी : राष्ट्रीय कांग्रेस के चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने सरकार को घेरने के लिए विधान मंडल में प्रवेश पाने का विचार रखा । १९२२ ई. में राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की ।

१९२३ ई. में हुए चुनावों में केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में स्वराज्य पार्टी के अनेक प्रत्याशी चुनकर आए । उनमें मुख्यतः मोतीलाल नेहरू, मदनमोहन मालवीय, लाला लजपतराय, न.चिं.केलकर का समावेश था । जब देश में राजनीतिक आंदोलन ठंडा पड़ गया था तब स्वराज पार्टी ने विधान परिषदों (मंडल) में संघर्ष किया । उन्होंने विधान परिषदों में सरकार की अन्यायकारी नीतियों का प्रखर विरोध किया । भारत में आगामी समय में उत्तरदायी सरकार पद्धति देने की मांग की । भारतीयों की समस्याओं को हल करने के लिए गोलमेज परिषद बुलाई जाए, राजनीतिक बंधियों को रिहा करें; इसके लिए विधान परिषद (मंडल) में प्रस्ताव सम्मत करवा लिये । सरकार ने स्वराज्य पार्टी के अधिकांश प्रस्ताव निरस्त कर दिए ।

साइमन कमीशन : १९१९ ई. में मॉटिग्यू-चेम्सफर्ड कानून द्वारा किए गए सुधार असंतोषजनक थे । अतः भारतीय जनता में असंतोष व्याप्त था । इस पृष्ठभूमि में अंग्रेज सरकार ने १९२७ ई. में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त



साइमन वापस जाओ

किया । इस कमीशन में सात सदस्य थे परंतु इन सदस्यों में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था । परिणामस्वरूप भारत के राजनीतिक दलों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय किया ।

१९२८ ई. में साइमन कमीशन भारत में आया । यह कमीशन जहाँ-जहाँ गया; वहाँ-वहाँ उनके विरुद्ध प्रदर्शन किए गए । 'साइमन गो बैक', 'साइमन वापस जाओ' के नारों से प्रखर विरोध दर्शाया गया । प्रदर्शनकारियों पर लाठियाँ चलाई गईं । लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध लाला लजपतराय के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया । इन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चलाई । उद्दंड पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाला जी की छाती पर लाठी से प्रहार किए । इस हमले के बाद हुई निंदा-भर्त्सना सभा में लाला जी ने कहा, "लाठी की प्रत्येक चोट के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर एक-एक कील ठोंकी जा रही है ।" कालांतर में कुछ ही दिनों में लाला जी का निधन हुआ ।



लाला लजपतराय

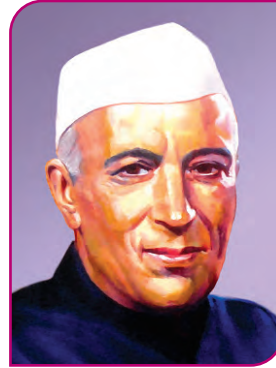
न प्र वदन (रूपो) : भारत के सभी नेता मिलकर सर्व सहमति से संविधान बना नहीं सकते, इस प्रकार की आलोचना भारतमंत्री बर्कन हेड ने की । इस चुनौती को स्वीकार कर सर्वदलीय समिति स्थापित की गई । इस समिति के अध्यक्ष पं.मोतीलाल नेहरू थे ।

भारत में स्वतंत्र उपनिवेश की सरकार स्थापित करें, वयस्क मतदान पद्धति लागू करें, भारतीयों को नागरिकों के मौलिक अधिकार दें, भाषावार प्रांत रचना करें जैसे प्रस्ताव इस प्रतिवेदन में थे। इस प्रतिवेदन को 'नेहरू प्रतिवेदन' कहते हैं।

१९२९ ई. के अंत तक सरकार ने नेहरू प्रतिवेदन को नहीं स्वीकारा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की चेतावनी दी गई। इस पृष्ठभूमि में १९२९ ई. के दिसंबर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में अधिवेशन हुआ और वह ऐतिहासिक सिद्ध हुआ।

पूर सा धीनता की माँग : स्वतंत्र उपनिवेश की सरकार यह अब तक राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था जो अनेक युवा कार्यकर्ताओं को मान्य नहीं था। पं.जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचंद्र बोस पूर्ण स्वाधीनता की माँग करने वाले युवाओं के नेता थे। इस युवा वर्ग के प्रभावस्वरूप राष्ट्रीय कांग्रेस के

लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय सभा ने स्वतंत्र उपनिवेश की सरकार का उद्दिष्ट त्याग दिया। इसके बाद भारत की संपूर्ण स्वाधीनता ही राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बनी।



पं. जवाहरलाल नेहरू

३१ दिसंबर १९२९ ई. को रावी नदी के तट पर पं.जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा लहराया और निश्चय किया गया कि २६ जनवरी यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

अंग्रेजी सत्ता से भारत को मुक्त करने के लिए स्वतंत्रता युद्ध को अहिंसक मार्ग से चलाने की प्रतिज्ञा २६ जनवरी १९३० ई. को पूरे देश में ली गई। परिणामतः पूरे देश में चेतना का वातावरण उत्पन्न हुआ।

सा ध्याय

१. लक्ष गए लर प से उत्ति लर प णिकर कथन पुनः लिखो।

- (१) गांधीजी ने अपने कार्य का प्रारंभ से किया।
(अ) भारत (ब) इंग्लैंड
(क) दक्षिण अफ्रीका (ड) म्यांमार
- (२) किसानों ने जिले में लगान बंदी आंदोलन प्रारंभ किया।
(अ) गोरखपुर (ब) खेड़ा
(क) सोलापुर (ड) अमरावती
- (३) जलियाँवाला बाग हत्याकांड के निषेध के रूप में रवींद्रनाथ ठाकुर ने सरकार द्वारा दिए गए खिताब (उपाधि) का त्याग किया।
(अ) लॉर्ड (ब) सर
(क) रावबहादुर (ड) रावसाहेब

२. लम्ब न के उत्तर एक-एक राक्य लिखो।

- (१) दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत वर्णियों पर १९०६ ई. के आदेश के अनुसार कौन-से प्रतिबंध लगाए गए?
- (२) गांधीजी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया?

- (३) जलियाँवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किस अधिकारी ने दिया था?

३. लम्ब न के उत्तर २५ ते ३० शब्द लिखो।

- (१) सत्याग्रह का दर्शन स्पष्ट करो।
- (२) स्वराज्य पार्टी की स्थापना क्यों की गई?

४. लम्ब को कारर सत्ति स करो।

- (१) भारतीय जनता ने रौलट एक्ट का विरोध किया।
- (२) गांधीजी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया।
- (३) भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया।
- (४) भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया।

२६ जनवरी १९३० ई. को स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा ली गई थी। वह प्रतिज्ञा प्राप्त करो और कक्षा में उसका वाचन करो।

